

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
(दिनांक 15.10.2025)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. :- 433/2025

GOMS NO:- 2025/.....

किस्म मुकदमा :- 136 LR Act.

उपदान :- कृष्ण कुमार बनाम राज0 सरकार

-आदेश-

दिनांक :- 15.10.2025

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का घसेडा के आधार पर, राजस्थान न्यू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र. सं. | ग्राम | खाला संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्धप्रविष्टि) | आदेश (शुद्धप्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|-------|-------------|--|---|
| 1 | घसेडा | 110, 120 | कृष्ण कुमार पुत्र सावल जयपाल पुत्र सावल जनता पुत्री सावल मंगेज पुत्री सावल महेन्द्रसिंह पुत्र सावल | कृष्ण कुमार पुत्र सावलराम जयपाल पुत्र सावलराम जनता पुत्री सावलराम मंगेज पुत्री सावलराम महेन्द्रसिंह पुत्र सावलराम |



(पुनर्मू. सीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

दिनांक:- 15/10/25

क्र. मांक. -राजस्व/2025/840

प्रतिनिधि:-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. कृष्ण कुमार पुत्र सावलराम जाति अहीर निवासी घसेडा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 को सूचनार्थ।

(पुनर्मू. सीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

